# उत्तर प्रदेश शासन

## गृह (पुलिस) अनुभाग–8

## संख्या–901/छः पु.–8–2005–118 (विविध)/04

## लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2005

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005) की धारा 17 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्

## उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**परिभाषाएँ**

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005) से है

(ख) ''सत्ता प्राधिकारी'' के अन्तर्गत कोई स्थानीय प्राधिकारी, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर निगम, आवास विकास परिषद या भवन योजना संस्वीकृति प्राधिकारी भी है।

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है।

(घ) ''नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो किसी दमकल केन्द्र अधिकारी से निम्न पंक्ति का न होऋ

**भवन की ऊँचाई**

3. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक होगी।

**न्यूनतम मानक**

4. भवन या परिसर हेतु अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक वही होंगे जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित उपविधियों, नेशनल बिल्डिग कोड ऑफ इण्डिया या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से दिये गये हैं–

(एक) पहुँच मार्ग।

(दो) पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/ऊपरी।

(तीन) स्वचालित स्प्रिंकलर प(ति।

(चार) फर्स्ट एड होज रील्स।

(पांच) भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त अग्निशामक।

(छः) कम्पार्टमेन्टेशन।

(सात) स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी प(ति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी प(ति।

(आठ) सार्वजनिक भाषण व्यवस्था।

(नौ) निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह।

(दस) विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत।

(ग्यारह) फायरमेन स्विच युक्त फायर लिफ्ट।

(बारह) वेट राइजर डाउन कमर स्टिस्टम।

(तेरह) सेट बैक।

(चौदह) निकास की आवश्यकताएँ एवं अग्नि से बचाव के मार्ग।

(पन्द्रह) फायर ड्रिल।

(सोलह) अग्निशमन प(ति का अनुरक्षण।

(सत्रह) अग्निशमन प(ति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण।

(अठारह) निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल।

(उन्नीस) सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा।

(बीस) विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीकरण।

**सूचनाओं का प्रारूप**

5. (1) अधिनियिम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन तीन घण्टे की सूचना इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ''क'' में होगी।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ''ख'' में सूचना देगा।

(3) मुख्य अग्निशमन अधिकारी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ''ग'' में सूचना देगा।

**दायित्व**

6. जहाँ कोई भवन या परिसर एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व या अधिभोग में हो, वह सम्पूर्ण भवन में नामनिर्दिष्ट अधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निदेशों के अनुसार अग्नि सुरक्षा और हानि निवारण उपायों की व्यवस्था करने के दायित्व व सहभागिता, यथास्थिति व्यष्टिक स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त अधिमुक्त क्षेत्र के अनुपात में होगी।

भवन या परिसर की सीलसबन्द करने की प्रक्रिया

7. अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे भवन या परिसर को, जिन्हें अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन सीलबन्द करना अपेक्षित है सीलबन्द करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा–

(क) जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों से, जिनके कब्जे या अधिभोग में सीलबन्द करने का भवन या परिसर हों, ऐसे भवन या परिसर से तत्काल हट जाने की अपेक्षा करेगा,

(ख) उक्त आदेश के अनुपालन न होने की दशा में वह उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार रखने का किसी पुलिस अधिकारी को, ऐसे भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने का निर्देश देगा,

(ग) ऐसे भवन या परिसर से अधिभोगी व्यक्तियों को हटाने के बाद वह ऐसे भवन या परिसर को ऐसी रीति से सीलबन्द करेगा जैसी वह उचित समझे;

(घ) परिसर को सीलबन्द करने के लिए प्रयुक्त मुहर–चिन्ह जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अभिवृति में रहेगा;

(ङ) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की रिपोर्ट पर सीलबन्द किये जाने के लिये अपेक्षित कोई भवन परिसर यदि तालाबन्द या पहुँच से पेर पाया जाता है तो वह ताला तोड़ सकता है, परिसर में प्रवेश कर सकता है और अधिनियम के अधीन अपेक्षित सभी आवश्यक कदम उठाने के पश्चात् भवन को पुनः तालाबन्द और सीलबन्द कर सकता है, परन्तु यदि कोई भवन या परिसर इस नियम के अधीन बल प्रयोग द्वारा खोला गया है तो परिसर में पायी गयी सामग्री की एक सूची दो गवाहों अधिमानतः स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, तैयार की जायेगी और उसकी एक प्रति उसके स्वामी या अधिभोगी को दी जायेगी, यदि वह स्थल पर उपस्थित है। जिला मजिस्ट्रेट के लिए अपने द्वारा दिये गये आदेशों के प्रवर्तन में या अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के आदेशों के प्रवर्तन में उपगत व्ययों की वसूली भूराजस्व के बकाये के रूप में करना विधिसम्मत होगा।

**अपील**

8. (क) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रमुख सचिव, गृह के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी कोई अपील, इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र ''घ'' में की जायेगी और इसके साथ 5000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) की फीस संलग्न की जायेगी।

(ख) अपील की फीस कोषागार (ट्रेजरी) चालान के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

**निर्देश जारी करना**

9. राज्य सरकार आनुषांगिक शक्तियों के अधीन ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक और अधिदिष्ट हो।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)

प्रमुख सचिव

## प्रपत्र क

## नियम 5 (1) देखें

# प्रवेश और निरीक्षण के लिए तामील की जाने वाली नोटिस का प्रपत्र

# नोटिस

मैं ..........................................., उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, एतद्द्वारा आपको नोटिस देता हूँ कि आपको इस नोटिस के तामील किये जाने के समय से तीन घण्टे की समाप्ति पर मैं उपर्युक्त अधिनियम के अधीन व्यवस्था किये जाने हेतु यथा अपेक्षित अग्नि निवारण और अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता या उनके उल्लंघन को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से ..................................................................................................................
..में अवस्थित आपके भवन/परिसर संख्या ................................................में प्रवेश करूँगा और उसका निरीक्ष्ण करूँगा।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में,

.................................................,

................................................. अधिभोगी/स्वामी

## प्रपत्र ख

## नियम 5 (1) देखें

## प्रवेश और निरीक्षण के लिए तामील की जाने वाली नोटिस का प्रपत्र

# नोटिस

मैं ............................................ उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, एतद्द्वारा आपको नोटिस देता हूँ कि आपको इस नोटिस के तामील किये जाने के समय से तीन घण्टे के समाप्ति पर मैं उपर्युक्त अधिनियम के अधीन व्यवस्था किये जाने हेतु यथा अपेक्षित अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता या उनके उल्लंघन को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से ....................................................में अवस्थित आपके भवन/परिसर संख्या ................. में प्रवेश करूँगा और उसका निरीक्षण करूँगा।

**नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी**

सेवा में,

.......................

....................... अधिभोगी/स्वामी

# प्रपत्र ग

# नियम 5 (3) देखें

अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों के सम्बन्ध में अपर्याप्तता की परिशुद्धि के उपाय करने के लिए तामील की जाने वाली नोटिस का प्रपत्र

# नोटिस

मैं ............................................ उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अधीन सशक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरे द्वारा दिनांक ..................... को किये गये निरीक्षण के आधार पर एउतद्द्वारा भवन/परिसर संख्या ..................................... ........................................ में निम्नलिखित अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ।

कार्यवाही विलम्बतम दिनांक .................. तक पूरी की जाये।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

सेवा में,

............................................................

............................................................

**------पेज सही नहीं है------**